17-05-2018

दिव्यांगों के लिए बने वाहनों का रोड टैक्स फ्री : सचिव

पटना | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

शुभारंभ

- पूरे राज्य भर में जिला परिवहन अधिकारियों को किया गया सूचित
- धर्मेंद्र समेत पहले दिन सात दिव्यांगों को मिला ड्राइविंग लाइसेंस

दिव्यांगों के लिए बनी गाड़ियों का रोड टैक्स नहीं लगेगा। अभी यह सात प्रतिशत लगता है। उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और निबंधन के लिए डीटीओ में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए पूरे राज्य भर के डीटीओ कार्यालय में अलग काउंटर खोले जाएंगे। यह जानकारी परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने दी।

बुधवार को दिव्यांगों के लिए बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा का शुभारंभ हुआ। इसमें परिवहन सचिव ने दिव्यांगों के लिए बने वाहनों के निबंधन में रोड टैक्स फ्री करने की घोषणा की। मौके पर संजय अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 2(18) और बिहार वित्त अधिनियम की धारा 13 में भी कर मुक्ति का प्रावधान है। जागरूकता के अभाव में राज्य भर में यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जो अब मिलेगी। इसके लिए उनका फिजिकल टेस्ट व ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा जिसके आधार पर उन्हें लाइसेंस मिलेगा। मौके पर धर्मेंद्र को निबंधन में मोटरवाहन कर मुक्त कर पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किया गया। पहले दिन सात लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए जिसमें कुमारी वैष्णवी, दीपक, आशीष, धर्मेंद्र, मुकेश, पिंटू, राधा शामिल हैं। सचिव ने कहा कि दिव्यांगों के लिए डिजाइन किए गए वाहनों पर भी वाहन मैनुफैक्चरर से बात जारी है। मौके पर विकलांग अधिकार मंच की कुमारी वैष्णवी ने कहा कि पिछले सात साल से हमलोग लाइसेंस की मांग कर रहे थे।

बुधवार को वीरचंद पटेल मार्ग के सुल्तान पैलेस में दिव्यागों को ड्राइविंग लाइसेंस देते परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल। ● हिन्दुस्तान